प्रद्युम्न बनाम बाबूलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	2008/00274
12/3/22	वकील उभयपक्ष उप./ वास्ते बहस पत्रा. दि. 24/3/22 को पेश हो।
24-3-2022	द्वारा कल्लोलन्य। पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-3-2022 को पेश हो। रीडर
31-3-22	वकील उभयपक्ष उप. | बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि. 8/4/22 को पेश हो।
8/4/22	वकील उभयपक्ष उप./ पक्षकारो द्वारा दिनांक 4.8.21 को उक्त न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामा विक्रय पत्र दि. 18/11/2020 हेतु एवं नकल जमाबंदी संवत 2073-2076 खसरा से 238 ग्राम मिर्जापुर के विपरीत होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
108/2018	9.10.2018	2.5.2022

प्रद्युम्न गुप्ता पुत्र भूरामल गुप्ता, महाजन निवासी उदेई मोड गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर नि. बाईपास पेट्रोल पम्प के पास गंगापुर
2 शम्भूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर नि. बाईपास पेट्रोल पम्प के पास गंगापुर
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4 उप पंजीयक तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5 राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट वादी की ओर से
श्री वृद्धिचंद शर्मा, एडवोकेट प्रतिवादी 1,2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रमसीला पुत्र पांच्या जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर से उसकी बाईपास रोड गंगापुर सिटी स्थित खातेदारी की भूमि ख0नं0 221 रकबा 0.14 हेक्टर मे से 0.07 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 10.11.2010 को क्रय की थी। ख0नं0 221 में से 0.07 हेक्टर भूमि क्रय की थी विक्रय पत्र में बेची गयी भूमि मुख्य सडक बाईपास के सहारे पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। जो क्रेता की भूमि हाल ख0नं0 222 व 223 के सहारे स्थित है तथा विक्रय पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि ख0नं0 221 की जो भूमि बाईपास रोड के सहारे आपको बेची गई है उस तरफ विक्रेता की कोई भूमि शेष नही है। यानि मुझ विक्रेता की भूमि पूर्व दिशा की तरफ रही है। उक्त विक्रय पत्र पर विक्रेता के पुत्र, पुत्रियों व पोत्र की भी पूर्ण सहमति है। क्रय करने के बाद से ही वादी ने अपनी भूमि मे कुछ हिस्से मे बाउण्डरी वॉल बना रखी है तथा मकान बना हुआ है। तथा कुछ हिस्सा खाली है। जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि की नक्शे में तरमीम करवाते समय नक्शा ट्रेस हाल मे जो नया नम्बर तरमीम करवाया है उसमे प्रतिवादीगण के हिस्से की बची हुई 0.05 है0 भूमि को भी हॉल ख0न0 221 मे पश्चिम दिशा की ओर सम्मलित करवा दिया। प्रतिवादीगण का हिस्सा मुख्य सडक से पूर्व की ओर था, हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड विक्रय पत्र के मुताविक वर्तमान नक्शे में तरमीम

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

नही की गयी तथा जमाबंदी हाल में भी वादी एवं प्रतिवादी को सम्मिलित रूप से खातेदार दर्ज कर दिया, जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक पृथक हो गया था इसमे बंटवारे की भी कोई आवश्यकता नही थी। हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा जो तरमीम की गयी है, वह गलत रूप से की गयी थी। उसकी वादी को कोई जानकारी नही थी। हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा ख0नं0 221 के तरमीम किये हुये नम्बर 1284/221 रकबा 0.02 हेक्टर व 221 रकबा 0.12 हेक्टर तरमीम कर दिये तथा प्रतिवादीगण का जो रोड के पूर्व दिशा का हिस्सा था उसको भी वादी के रोड की तरफ लगेवा हिस्सा मे दर्ज कर दिया। जबकि उनको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित नक्शे में तरमीम करने का कोई अधिकार नही था। उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 7.9.2018 को वादी को धमकी दी है कि हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर ने रोड के पश्चिम दिशा मे जो हमारे 5 ऐयर रकबे की तरमीम की है, अब हम उसे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दीगर व्यक्तियों को रहन, व्यय करेंगे तथा वादी को बेदखल कर देगें तथा उक्त भूमि मे नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करेगें। प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतो से तब तक बाज नही आयेगें जब तक कि उन्हें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर दिया जावेगा कि वह हाल ख0नं0 221 की जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरित तरमीम की गयी है। उसके आधार पर वादी की क्रय शुदा भूमि को दीगर जगह रहन व्यय नही करें, वादी को बेदखल नही करे, तथा उक्त भूमि में नींव खोदकर पुख्ता निर्माण नही करें। वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0नं0 221 की हाल नक्शा ट्रेस में जो तरमीम 0.12 हेक्टर रकबे के रूप में की है वह गलत है। बाईपास रोड के पश्चिम मे हाल ख0नं0 221 मे से केवल 0.07 हेक्टर भूमि वादी की दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण का जो 0.05 है0 रकबा हाल ख0नं0 221 में दर्ज कर दिया है। उसे रोड के पूर्व की ओर दर्ज किया जावे तथा बाईपास की जो गलत तरमीम की है। उसे भी दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फामाया जावे कि वे बाईपास रोड के पश्चिम दिशा मे रोड के लगेवा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुताबिक वादी की जो खसरा नम्बर 221 में 0.07 हेक्टर भूमि शेष रही है उसे दीगर जगह रहन व्यय नही करें तथा उसमें कोई नींव खोदकर निर्माण कार्य नही करें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादी के उपयोग

य जिला कलेक्टर
पुर सिटी (राज0)

उपयोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें। ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रमशीला द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 0.14 हेक्टर मे से 0.07 हेक्टर जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 10.11.2010 को विक्रय किया जाना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह तहरीर की गई है स्वीकार नही है। प्रस्तुत प्रकरण की भूमि मे कोई मकान खसरा नम्बर 221 मे बना हुआ नही है। वादी ने कोई बाउण्ड्री वाल नही बना रखी है। वादी का केवल 0.07 हेक्टर (7 ऐयर) पर कब्जा है। नक्शा ट्रेस मे सक्षम अधिकारी द्वारा जो तरमीम की गई है वह तरमीम नियम अनुसार बिल्कुल सही की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा खसरा नम्वर 221 की तरमीम नियम अनुसार सही प्रकार से की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को दिनांक 7.9.2018 को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नही दी है। वादी ने धमकी देने का आरोप गलत लगाया है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वैधानिक आधार पर किसी भी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के वैधानिक अधिकारी नही है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 7.9.2018 को किसी भी प्रकार से वैधानिक आधार पर वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वादकारण के अभाव में वादी का दावा खारिज होने काविल है। वादी को प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध दावा पेश करने से पहले 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। 80 सी0पी0सी0 के नोटिस के अभाव में वादी का दावा वैधानिक रूप से विधि द्वारा पोषणीय नही है, वादी का दावा पोषणीयता के आधार पर खारिज होने काविल है। जबाब दावे के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी ने जो दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पेश किया है वह दावा विधि द्वारा पोषणीय नही होने से विधि के आधार पर खारिज होने काविल है। जो तरमीम खसरा नम्बर 221 बावत रकवा 0.14 हेक्टर बावत समक्ष अधिकारी द्वारा की गई है। वह तरमीम भौतिक सत्यापन को दुरूस्त कराने का रिकार्ड के विपरित होने से वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रमशीला द्वारा दिनांक 10.11.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया था उस विक्रय पत्र पर रमशीला के बांए हाथ के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अंगूठे का निशान है। रमशीला पढा लिखा नही है, हस्ताक्षर करना भी नही जानता है जिस कारण से वादी ने विक्रय पत्र मे कोई ईबारत टाईप करवा दी हो तो उस स्थिति मे रमशीला वैधानिक रूप से उस इबारत से पाबन्द नही है। ईबारत विधि विरूद्व होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व प्रभावी नही है। खसरा नम्बर 221 रकवा 0.14 हेक्टेयर का वादी एवम् शमशान घाट के चरपेटवा 0.05 हेक्टेयर की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कब्जा दिया तभी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 0.05 हेक्टेयर भूमि पर बाईपास सडक के पश्चिम की और कब्जा चला आ रहा है। वादी बदयांति से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि 0.05 हेक्टेयर को गैरकानूनी रूप से दावे के माध्यम से अधिकार करना चाहता है जिसका वादी को वैधानिक अधिकार नही है। वादी का दावा इसी बिन्दु पर खारिज होने काविल है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में वादी का दावा विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई–

1. आया वादी ने दिनांक 10.11.2010 को भूमि ख0न0 221 मे से 0.07 है0 भूमि क्रय की है। जिसकी सीमाए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे अंकित कि है कि उक्त भूमि बाईपास रोड के सहारे पश्चिम दिशा मे स्थित है। ख0न0 221 मे से विक्रेता की शेष भूमि 0.07 है0 भूमि बाईपास के पूर्व दिशा की ओर रहेगी जो बाईपास के पूर्व मे रही है।

2. आया प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे दी गई दिशाओ के विपरित अपना जो शेष हिस्सा 0.05 है0 रकबा जो शेष रहा था उसे गलत रूप से बाईपास रोड के पमश्मि दिशा में दर्ज करवा दिया जिसे वादीगण निरस्त करवाने का अधिकारी है।

3. आया रेवेन्यु कर्मचारियों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 221 में से स्पेसीफिक भाग क्रय किया था। उसके बाबजूद भी राजस्व कर्मचारियों ने ख0न0 221 ने वादी एवं प्रतिवादी को समयिक रूप से खातेदार दर्ज कर दिया जबकि ख0न0 221 मे से वादी के 0.07 है0 रकबे को बाईपास के सहारे पश्चिम मे वादी के नाम पृथक से दर्ज करना चाहिए था।

4. आया उक्त दावे की सुनवाई का अदालत हाजा को उक्त वाद पत्र की सुनवाई का अधिकार समाहात हासिल नही है। इस बिना पर दावा खारिज होने योग्य है।

5. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उप जिला कलेक्टर
नागापुर सिटी (स0मा0)

6. आया वादी को कोई वादकारण पैदा नही हुआ। इस बिना पर दावा खारिज होने योग्य है।
7. आया वादी ने दावा करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया इस बिना पर दावा खारिज होने योग्य है।
8. अनुतोष।
9. आया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 1.1.2012 को मौखिक बंटवारा हुआ था। बंटवारे के मुताबिक 0.05 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण बाईपास सडक के पश्चिम की ओर काबिज है। वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि को स्वयं के नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी नही है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2073—76 खाता संख्या 238 ग्राम मिर्जापुर नकल नक्शा ट्रेस, असल विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2010 एवं असल विक्रय पत्र दिनांक 9.6.2010, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2073—76 खाता संख्या 346 ग्राम मिर्जापुर, खाता संख्या 174 ग्राम मिर्जापुर, खाता संख्या 238 ग्राम मिर्जापुर प्रस्तुत किये है।

जबाबदावे के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

दिनांक 4.8.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया।

राजीनामें मे पक्षकारों ने अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमे पक्षकारान मे पॉच आदमियो के समझाने से व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामे के अनुसार ख0न0 221 रकबा 0.12 है0 ग्राम मिर्जापुर की सम्पूर्ण भूमि वादी प्रघुम्न पुत्र घूडमल जाति महाजन निवासी उदेईमोड गंगापुर सिटी की अकेले की तन्हा खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी रही है। उक्त ख0न0 221 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबूलाल व साधूलाल का कोई तालुल्क वास्ता नही रहा है। उनका नाम ख0न0 221 की खातेदारी से हजफ किया जाकर अकेले प्रघुम्न गुप्ता का नाम बतौर खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी प्रकार ख0न0 1284/221 रकबा 0.02 है0 ग्राम मिर्जापुर की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबूलाल व साधुलाल पुत्रान रमसीला की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त ख0न0 1284/221 रकबा 0.02 है0 ग्राम मिर्जापुर से वादी प्रघुम्न गुप्ता पुत्र घूडमल गुप्ता का नाम हजफ किया जाकर बाबूलाल व साधूलाल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। मुताबिक राजीनामा वादी प्रघुम्न गुप्ता का खसरा नम्बर 221 रकबा 0.12 है0 की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा है। जो बाईपास सडक के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कोई भूमि ख0न0 221 मे रकबा 0.12 है0 मे नही रही है। उक्त रकबे की सम्पूर्ण भूमि 0.12 है0 वादी अकेले की है और हमेश रहेगी। इसी तरह खसरा नम्बर 1284/221 रकबा 0.02 है0 की सम्पूर्ण भूमि पर जो

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बाईपास सड़क के पूर्व दिशा की तरफ है पर शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबूलाल व साधूलाल का कब्जा है तथा उन्हीं का रहेगा और अब उक्त खसरा नम्बर 1284/221 की भूमि रकबा 0.02 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबूलाल व साधुलाल की रही है और हमेशा रहेगी । इसलिए मुताबिक राजीनामा रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी में वादी पद्युम्न गुप्ता व प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल व प्रतिवादी संख्या 2 साधूलाल का नाम दर्ज किया जाना उचित है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषकगण ने राजीनामा अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध असल विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2020 के अनुसार वादी प्रद्युम्न ने रमसीला पुत्र पांच्या गुर्जर से भूमि ख0नं0 221 रकबा 0.14 है0 ग्राम मिर्जापुर में से 1/2 हिस्सा खरीद किया है तदनुसार वादी 0.07 है0 भूमि की खातेदारी अपने नाम प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जो राजीनामा प्रस्तुत किया है उसमें पक्षकारों ने ख0नं0 221 रकबा 0.12 है0 वादी प्रद्युम्न के नाम व ख0नं0 1284/221 रकबा 0.02 है0 भूमि ग्राम मिर्जापुर प्रतिवादी बाबूलाल व साधुलाल के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया हैं । चूंकि पक्षकारों द्वारा राजीनामा विक्रयपत्र दिनांक 15.11.2020 के विपरीत जाकर किया गया है इसलिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी अपना वाद डिक्री कराने का अधिकारी नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों द्वारा दिनांक 4.8.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2020 के एवं नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 238 ग्राम मिर्जापुर के विपरीत होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-04-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

प्रद्युमन्न गुप्ता पुत्र घूडमल गुप्ता,महाजन नि0 उदेईमोड गंगापुरसिटी —वादी

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर नि. बाईपास पेट्रोल पम्प के पास गंगापुर
2 साबूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर नि. बाईपास पेट्रोल पम्प के पास गंगापुर
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4 उप पंजीयक तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
5 राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. —105/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री बृद्धिचन्द शर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारों द्वारा दिनांक 4.8.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2020 के एवं नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 238 ग्राम मिर्जापुर के विपरीत होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.04.2022 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय			बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		